



दिनांक- 20.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 756/26

महोबा पुलिस

सरकिल नगर- थाना कोतवाली नगर महोबा

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा

01 वांछित एवं 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उ0नि0 गौरव चौबे मय हमराह का0 विपिन तिवारी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 302/2025 धारा 318(4)/336(3)/340(2)/338 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकुर तिवारी पुत्र रामशरण उर्फ छोटे महाराज, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी मोहल्ला रूपनगर, थाना चरखारी, जनपद महोबा को झलकारी बाई तिराहा, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसी क्रम में अ0सं0 940/15, मु0सं0 2392/16, धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त सुनील रैकवार पुत्र नन्दू, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम करहराकला, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को ग्राम करहराकला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अंकुर तिवारी पुत्र रामशरण उर्फ छोटे महाराज, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी मोहल्ला रूपनगर, थाना चरखारी, जनपद महोबा
सम्बन्धित मु0अ0सं0 302/2025, धारा 318(4)/336(3)/340(2)/338 बीएनएस
2. सुनील रैकवार पुत्र नन्दू, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम करहराकला, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा
सम्बन्धित अ0सं0 940/15, मु0सं0 2392/16, धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गौरव चौबे
2. का0 विपिन तिवारी
3. का0 आमिर खान





दिनांक- 20.09.2026

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 757/26

जनपद महोबा में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं से सीधा संवाद,

“बहू-बेटी सम्मेलन में सुरक्षा से लेकर स्वावलंबन तक की दी गई जानकारी।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत आज दिनांक 20.09.2026 को जनपद महोबा के समस्त थाना क्षेत्रों में “बहू-बेटी सम्मेलन” का आयोजन किया गया।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी एसओपी के क्रम में आयोजित इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ सीधे संवाद स्थापित कर उन्हें अपने अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा आत्मनिर्भरता के अवसरों के प्रति जागरूक करना रहा। विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में महिलाओं, बहुओं, बालिकाओं, छात्राओं, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्त्रियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, ग्राम प्रधानों तथा स्थानीय नागरिकों ने सहभागिता की।

सम्मेलन के दौरान महिला पुलिस टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद करते हुए उनके समक्ष आने वाली समस्याओं, सुरक्षा संबंधी चिंताओं एवं सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा की गई। महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न तथा लैंगिक अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में बालिकाओं सशक्तिकरण का माध्यम बनाने, किसी भी दबाव अथवा प्रलोभन में सलाह दी गई। साथ ही आत्मरक्षा, मीडिया के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के गई।



एवं छात्राओं को शिक्षा को अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने तथा आकर जल्दबाजी में निर्णय न लेने की सुरक्षित डिजिटल व्यवहार एवं सोशल संबंध में आवश्यक जानकारी साझा की

महिलाओं एवं बालिकाओं भी अवगत कराया गया। फर्जी ऑनलाइन निवेश, पार्ट-टाइम जॉब, साइबर ठगी के तरीकों के प्रति सावधान करते हुए OTP, UPI PIN, CVV, पासवर्ड एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करने की अपील की गई। साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 पर सूचना देने के साथ ही निकटतम थाना अथवा साइबर सेल से संपर्क करने की जानकारी दी गई।

को साइबर अपराध के बढ़ते स्वरूपों से कॉल, लिंक, KYC अपडेट, डिजिटल अरेस्ट, कूरियर एवं अन्य

“बहू-बेटी सम्मेलन” के माध्यम से महिलाओं को शासन द्वारा संचालित महिला एवं बालिका कल्याण से जुड़ी योजनाओं एवं सेवाओं के बारे में भी बताया गया। मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क, वन स्टॉप सेंटर, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजनाओं एवं प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र महिलाओं को इनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।

इस दौरान महिला सुरक्षा एवं सहायता के लिए संचालित हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 181, 1098, 1930, 1076, 102 एवं 108 के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर महिलाएं एवं बालिकाएं बिना किसी संकोच के इन सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं द्वारा बताई गई समस्याओं एवं सुझावों को पुलिस टीमों द्वारा गंभीरता से सुना गया तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। महोबा पुलिस द्वारा महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि उनकी सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस हर समय तत्पर है।

“बहू-बेटी सम्मेलन” के माध्यम से महोबा पुलिस ने महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें अपनी आवाज स्वयं उठाने, अधिकारों के प्रति सजग रहने और सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।



दिनांक- 20.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 758/26

महोबा पुलिस

मिशन शक्ति अभियान 5.0 :- परिवार परामर्श केन्द्र की पहल से 03 परिवारों में लौटी खुशियाँ, आपसी मतभेद हुए दूर...।

- मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत जनपद महोबा पुलिस द्वारा संचालित परिवार परामर्श केन्द्र के प्रभावी प्रयासों से कई बिखरते परिवारों को टूटने से बचाया गया है। संवाद, समझ और संवेदनशील परामर्श के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान कर परिवारों में पुनः खुशियों की वापसी कराई गई।
- आज दिनांक 20.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन महोबा स्थित सभाकक्ष में परिवार परामर्श केन्द्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी महिला थाना उ0नि0 निकिता शुक्ला द्वारा की गई। कार्यक्रम में परिवार परामर्श केन्द्र के सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे।
- कार्यक्रम के दौरान पति-पत्नी के 40 ऐसे जोड़ों, जिनके मध्य पारस्परिक पारिवारिक विवाद चल रहा था, की गहन काउंसिलिंग की गई। प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना गया तथा दोनों पक्षों की समस्याओं के समाधान हेतु संयमित, सकारात्मक एवं संवेदनशील परामर्श प्रदान किया गया। काउंसिलिंग के परिणामस्वरूप 03 पति-पत्नी (दंपत्ति) पुनः आपसी सहमति से साथ रहने के लिए राजी हुए। शेष प्रकरणों को आगामी तिथि पर पुनः काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया गया है।
- परिवार परामर्श केन्द्र एवं जनपद महोबा पुलिस के इन सफल प्रयासों की प्रभावित परिवारों एवं उनके परिजनों द्वारा सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।
- परामर्श कार्यक्रम के दौरान म0हे0कां0 अल्का, म0कां0 अनुप्रिया, म0कां0 मानसी, म0कां0 तृप्ति सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर श्रीमती अंशु शिवहरे, श्रीमती विभा पुरवार, श्रीमती नीतू पालीवाल, श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री रामजी गुप्ता, श्री राम कुमार सोनी, श्री सुरेश कुमार जायसवाल तथा श्रीमती कल्पना सोनी (जे.जे.बोर्ड) आदि सम्मानित सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति सराहनीय रही।





दिनांक- 20.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 759/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष खन्ना श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना खन्ना पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 20.09.2026 को उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह मय हमराह उ0नि0 सुरेश कुमार सचान द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त संतोष पुत्र छत्रपाल उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम शायर थाना विवांर जनपद हमीरपुर को सम्बन्धित मु0नं0 743/08 धारा 323/504/506 भादवि0 में माननीय न्यायालय मौदहा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन मे अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम शायर थाना विवांर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

संतोष पुत्र छत्रपाल उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम शायर थाना विवांर जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह
2. उ0नि0 सुरेश कुमार सचान



